प्र.सं. 161/2019 जीसीएमएस आई डी : 2019/00353

सज्जन सिंह बनाम सरकार

अन्तर्गत 88 आरटीएक्ट 136 एलआरए

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
09.03.2021	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। राजपैरोकार उपस्थित। बहस सुनी गयी। वकील वादी ने निवेदन किया कि चक 41 पीएस के खाता सं. 18 के मु.नं. 51 की 1.771है. नहरी भूमि वादी की खातेदार हैं। वादी का सही नाम सज्जन सिंह हैं। वादी को घरेलू छोटे नाम से छज्जू सिंह से भी पुकारा जाता था। वादी के एवं वादी के संतानों के व्यक्तिगत व शैक्षणिक दस्तावेजों में वादी का सही व वास्तविक नाम सज्जन सिंह दर्ज है। रकबा वादी के नाम नामान्तरित करवाते समय वादी का नाम छज्जू सिंह दर्ज करवा देने से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दज्जू सिंह चला आ रहा हैं। जिसकी दुरूस्ती की जानी आवश्यक हैं। अतः राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम छज्जू सिंह के स्थान पर छज्जू सिंह उर्फ सज्जन सिह दर्ज दुरूस्त कर अमलदरामद करने के आदेश फरमाने बाबत डिक्री पारित करने हेतु निवेदन किया। बहस पर मनन किया। एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में तहसीलदार रायसिंहनगर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार आवंटन नामान्तरण सं. 36 दिनांक 10.12.1985 के आधार पर छज्जू सिह पुत्र बचन सिंह राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ हैं। प्रकरण में दिनां 27.10.2020 को तनकीयात कायम कर सिद्ध करने का भार वादी पर रखा गया था। वादी द्वारा साक्ष्य में शपथ पत्र सज्जन सिंह, लखविन्द्र सिंह व सर्वजीत सिंह का पेश किया गया। जिन पर जिरह पूर्ण की गयी। एवं दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये। प्रदर्श 11 प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत मोहकमवाला अनुसार छज्जू सिंह का वास्तविक नाम सजन सिंह ही हैं। प्रदर्श 1 जमाबंदी 41 पीएस में नाम छज्जू सिंह दर्ज हैं। प्रदर्श 5, 6ए, 7ए आदि में नाम सज्जन सिंह दर्ज है। अतः वादी की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र दस्तावेजा एवं प्रमाण पत्र सरपंच ग्रा.पं. मोहकमवाला दिनांक 21.09.2020 के आधार पर वाद वादी स्वीकार कर चक 41 पीएस तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी संवत 2074–2077 खाता सं. 18 में दर्ज मु.नं. 51 के 1.771है. नहरी रकबा छज्जू सिह पुत्र बचन सिंह के स्थान पर छज्जू सिंह उर्फ सज्जन सिंह पुत्र बचन सिंह की दूरूस्ती की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश तहसीलदार रायसिं[illegible] को दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तुर रहेगा। चूंकि विवादित भूमि बैंक [illegible] दर्ज हैं, अतः उक्त आदेश की पालना भूमि के रहन [illegible] की जावे। इसी आशय की पच[illegible] सुनाया गया। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Arpita Soni Date: 2021.06.07 11:50:28 IST Reason: SelfAttested (अर्पिता सोनी) उपखण्ड अधिकारी राजस्व रायसिंहनगर	

Scanned with CamScanner

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आदेश 20 रूल 6–7 जाब्ता : दीवानी)

C/VIL PROCEDURE CODE APPENDIX D-1

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी(राजस्व) मुकाम रायसिंहनगर

बईजलास : अर्पिता सोनी आर.ए.एस.

प्र.सं.– 161/2019

जी.सी.एम.एस. : 2019/00353

1. सज्जन सिह पुत्र बच्चन सिंह जाति नाई निवासी 41 पीएस हाल 10 केएसडी मोकमवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

–:वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर

–:प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट एवं 125–136 एल.आर.एक्ट

–: निर्णय :–

दिनांकः–09.03.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई बरूबरू हमारे बहाजरी श्री सोहन वर्मा **अधिवक्ता वादी,** राजपैरोकार **पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिक्री की जाती है कि**:–वाद वादी स्वीकार कर चक 41 पीएस तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी संवत 2074–2077 खाता सं. 18 में दर्ज मु.नं. 51 के 1.771है. नहरी रकबा छज्जू सिह पुत्र बचन सिंह के स्थान पर छज्जू सिंह उर्फ सज्जन सिंह पुत्र बचन सिंह की दूरूस्ती की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर को दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तुर रहेगा। चूंकि विवादित भूमि बैंक के रहन दर्ज हैं, अतः उक्त आदेश की पालना भूमि के रहन मुक्त दर्ज होने पर की जावे।

डिक्री आज दिनांक 09.03.2021 को जारी की गई।

अर्पिता

(अर्पिता सोनी)

उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.06.07 11:50:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner